1.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 956–पीबीआर/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 16–02–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना प्रकरण कमांक 40/निग0/2010–11.

....

1– मनजीतसिंह पुत्र इकबालसिंह
2– बलवीरसिंह पुत्र इकबालसिंह
3– मलिन्दरसिंह पुत्र इकबालसिंह
4– विनय अरोरा पुत्र गोकुलसिंह
निवासीगण बोम्बे हॉस्पिटल के सामन विनय नगर
जिला–इंदौर म0प्र0

.........आवेदकगण

विरूद्ध

1– लोकेन्द्र पुत्र आयोध्याप्रसाद शर्मा,
2– जगदीशप्रसाद पुत्र देवीलाल तिवारी
3– प्रहलाद सिंह पुत्र सौदानसिंह जादौन
4– राजेंद्रसिंह पुत्र छतरसिंह जादौन
5– बीरेन्द्रसिंह पुत्र छतरसिंह जादौन
निवासीगण कर्माखेडी रूठियाई तहसील राधौगढ
जिला गुना म0प्र0
6– मुन्नीबाई पुत्र छतरसिंह जादौन
पत्नी हरनामसिंह दीवान जी पुलिस थाना कुम्भराज
जिला गुना
7– पवन शर्मा आत्मज धून्धीलाल ब्राम्हण
निवासी कर्माखेडी रूठियाई तहसील राधौगढ
जिला गुना म0प्र0
8– श्रवण शर्मा आत्मज धून्धीलाल ब्राम्हण
निवासी कर्माखेडी रूठियाई तहसील राधौगढ
जिला गुना म0प्र0
9– कमलेश शर्मा आत्मज धून्धीलाल
निवासी कर्माखेडी रूठियाई तहसील राधौगढ
जिला गुना म0प्र0

10– रेखाबाई आत्मजा धून्धीलाल पत्नी मोहनलाल शर्मा
निवासी कोटेश्वर मंदिर गली तहसील व जिला गुना
11– शकुन्तलादेवी पत्नी मुन्नासिंह
निवासी कर्माखेडी रूठियाई तहसील राधौगढ
जिला गुना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/12/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा नायब तहसीलदार राधौगढ के प्रकरण कमांक 1/अ–46/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 28–2–1983 के विरूद्ध दिनांक 23–6–10 को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में धारा 5 के आवेदन के साथ लगभग 27 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31–12–2010 से प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु नियत किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–02–2012 से निगरानी निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा गया । अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–02–2012 से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–1983 को दो पक्षों के मध्य पारित आदेश के विरूद्ध

अनावेदकगण कमांक 1 एवं 2 न तो मूल प्रकरण में पक्षकार थे और न ही नायब तहसीलदार का आदेश उनके विपरीत था । अनावेदकगण कमांक 1 एवं 2 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–1983 के विरूद्ध 28 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील समयबाधित होने के बाद भी लम्बे विलम्ब को क्षमा करने का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण न होते हुये ऐसे विलम्ब को क्षमा करना न्यायोचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी नहीं देखा कि प्रथम अपील मृत व्यक्ति गोकुलचन्द को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत की गई । तर्क में यह भी बताया कि प्रकरण से संबंधित भूमि पर पूर्व में सौदानसिंह एवं धुन्धी का आधिपत्य था । आवेदकगण ने अभिलिखित भूमिस्वामी सौदानसिंह से पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 1985 में क्रय की थी तभी से केतागण का आधिपत्य चला आ रहा है । विलम्ब क्षमा करने हेतु दिया गया आवेदन पूर्णतः मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्को में यह भी बताया कि अनावेदक का यह अभिकथन पूर्णतः झूठा है कि भूमि खाली पड़ी थी । आवेदकगण द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात् उस पर फेंसिंग कराई एवं ईट भटटे लगाकर निरन्तर 20 वर्षो से व्यवसाय कर रहे हैं । तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–5–08 से किये गये सीमांकन में भी आवेदकगण का ईट भट्टा लगा होना पाया गया । ईट भट्टा ऐसा व्यवसाय है जो दूर से ही दिखाई देता है । आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष जो अभिकथन किये गये उनकी विवेचना एवं उन पर निर्णय दिये बिना पारित विवादित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर न्ययालय द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल एवं न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यही बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल एवं न्यायोचित होने से स्थिर रखे जाकर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ प्रकरण में उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने धारा

190 की कार्यवाही बिना मूल अभिलिखित भूमिस्वामी दिवाकर देव की पहचान किये तथा बिना उसे सुने की है । विचारण न्यायालय की उक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही संदेहास्पद है । लोकहित में अनावेदक कमांक 1 तथा 2 ने इसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी है जिसको समयावधि में माने जाने के विरूद्ध यह दूसरी निगरानी पेश की गई है । लोकहित में सन्देहास्पद आदेश को समयावधि में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । उन्होंने अपने आदेश में इसके आधार भी स्पष्ट किये हैं । आवेदक द्वारा इन बिन्दुओं के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत न करते हुये अन्य बातें उठाई गई हैं जिनका प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप के पर्याप्त आधार नहीं हैं ।

6/ फलतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर